(39)

राजस्थान–सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

क्रमांक :– एफ 61(9) SSAAT/संस्थापन/पार्ट फाइल/2020/3089 जयपुर, दिनांक 4/8/21

कार्यालय आदेश (आदेश संख्या /2021)

सोसायटी की कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या 1.5 के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 61(5)SSAAT/विविध/2019/7286–7409 दिनांक 04.03.2020 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम (GF&AR) के प्रावधानान्तर्गत एवं कार्यकारी समिति (SSAAT) की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 की निर्णय संख्या 1.5 की पालनार्थ इस सोसायटी के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 61(9) SSAAT/संस्थापन/2019/114–122 दिनांक 12.01.2021 द्वारा कार्यालय के कार्य सम्पादन हेतु श्री प्रदीप काला, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम को (उप निदेशक के पदस्थापन तक) कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया था।

शासी निकाय (G.B.) की द्वितीय बैठक दिनांक 19.12.2020 में कार्य समिति के इस आशय के निर्णय की पुष्टि भी की जा चुकी है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश क्रमांक एफ1(8)प्रावि/ग्रुप–1/2013 दिनांक 22.02.2021 को कार्य सम्पादन हेतु स्थाई आदेश जारी किए गए हैं।

कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 61(9) SSAAT/संस्थापन/पार्ट फाइल/2020/161–173 दिनांक 21.01.2021 के द्वारा श्री सोहन लाल अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम को आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त किया गया था, परन्तु आयुक्त नरेगा द्वारा उन्हे कार्यमुक्त नहीं करने से उनके द्वारा कार्य ग्रहण ही नहीं किया गया था। अतएव कार्यालय कार्य सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालन करवाने हेतु श्री प्रदीप काला के स्थान पर श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम को कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया गया था। परियोजना निदेशक मनरेगा के आदेश क्रमांक एफ–10(1)ग्रा.वि./नरेगा/संस्था/2019/पार्ट–11/00483 दिनांक 30.07.2021 द्वारा श्री सोहन लाल अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम को कार्यमुक्त करने पर उन्होंने इस कार्यालय में कार्यग्रहण कर लिया है। अतः उक्त आदेश को अतिलंघित करते हुए मैं, रामावतार शर्मा, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी श्री सोहन लाल अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम को लेखाधिकारी (प्रशासन) का कार्य करने पर इन्हें सोसायटी के कार्यालध्यक्ष एवं श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाकारी ग्रेड–प्रथम को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) के प्रावधानों के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारी घोषित करता हूँ।

कार्यालयाध्यक्ष सोसायटी के कार्यालय का संचालन नियमानुसार सुनिश्चित कराऐंगे और समस्त कार्यालय स्टाफ (अधिकारी/कर्मचारीगण मय संविदा कर्मियों) का समयपालन एवं कर्तव्य पालन पर निगरानी (Suervision) रखेंगे।

उक्त अधिकारीगण कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के कर्तव्यों, कार्यालय कार्यो लेखों भुगतान कार्यो, भण्डार क्रय व संधारण संबंधी एवं अन्य समस्त कार्यों का नियमानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त अधिकारी सोसायटी (SSAAT) की शासी निकाय/कार्य समिति के निर्णयों/दिशा–निर्देशों एवं राज्य सरकार में प्रचलित नियमों का प्रावधानान्तर्गत समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

श्री सोहन लाल अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, (कार्यालयाध्यक्ष) के अवकाश/प्रशिक्षण/कार्यालय में अनुपलब्धता के दौरान श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी–प्रथम के द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य सम्पादित करेंगे एवं श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाकारी–प्रथम (आहरण वितरण अधिकारी) के अवकाश/प्रशिक्षण/कार्यालय में अनुपलब्धता के दौरान श्री सोहन लाल अग्रवाल इनका कार्य सम्पादित करेंगे।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT